न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– अपील / 15 / 2017

01. कुमारी नीरज उम्र 29 पुत्री स्व. सुमित्रा पत्नी नाथूराम
02. आकाशदीप उम्र 26 वर्ष पुत्र
03. पूनम उम्र 16 वर्ष पुत्री स्व० सुमित्रा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक नाथूराम पुत्र भगतराम जाति जाट निवासी रसीदपुरा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— अपीलान्ट्स

बनाम

01. सरपंच, ग्राम पंचायत गोठड़ा भूकरान तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
02. श्रीमती रामकोरी पत्नी स्व. सादाराम
03. दुर्गेश कुमार पुत्र स्व. सादाराम
04. राखी पुत्री स्व. सादाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम आकवा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1014 दिनांक 05.11.2014 ग्राम पंचायत गोठड़ा भूकरान

उपस्थिति–
01. श्री राजेश माथुर, वकील अपीलांट्स की ओर से
02. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 4 की ओर से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

–:आदेश:–

दिनांक– 06.08.2025

वकील अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "वाके ग्राम आकवा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा सं. 592 रकबा 3.8700 हेक्टेयर अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार सादाराम पुत्र जोधाराम था। सादाराम की मृत्यु दिनांक 28.11.2013 को होने के पश्चात् चुनोतिग्रस्त नामान्तकरण सं. 1014 दिनांकित 05.11.2014 को ग्राम पंचायत गोठड़ा भूकरान द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध अपील अपीलान्ट की ओर से निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है– चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध आधारों पर स्वीकृत किया गया है। चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व मृतक खातेदार सादाराम के वारिसों की पूर्ण जांच नहीं की गयी। चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण फर्जी व अधूरे वारिसान प्रमाण–पत्र दिनांकित 12.09.2014 के आधार पर पटवारी द्वारा भरा गया था। स्व. सादाराम के वारिसों में उनकी एक पुत्री सुमित्रा को अन्देखा करके जारी किया गया था। जबकि सुमित्रा पुत्री सादाराम की मृत्यु दिनांक 13.05.2014 को पूर्व में हो चुकी थी किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलान्ट जो कि स्व.सादाराम की पुत्री सुमित्रा के वारिसान होने से प्रथम अनूसूची में शामिल उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में विरासती अधिकार रखते है। इस आधार पर अपीलान्ट्स का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 15:13:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

नाम स्व. सादाराम की मृत्यु पश्चात् स्वीकृत नामान्तरकरण में शामिल होना आवश्यक था। चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व वारिस प्रमाण स्वयं सरपंच परमेश्वरी द्वारा दिनांक 12.09.2014 को जारी किया गया था जो अपूर्ण व साजिशी था, के आधार पर ही सरपंच परमेश्वरी देवी ने चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण अवैध रूप से स्वीकृत कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व अन्य आसा–पासा खसरा नम्बरान के खातेदारों से स्व. सादाराम के वारिसों की जांच नहीं की। इसलिए चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने निर्धारित मियाद 30 दिवस से बाहर जाकर स्वीकार कर कानूनी भूल की है। इसलिये चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण निरस्तनीय है। चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण के कॉलम सं. 9 में प्रतिस्थापित किये जाने के लिये प्रस्थापित प्रविष्ठि में स्व. सादाराम की पुत्री राखी के रेस्पोडेन्ट सं. 4 का नाम बिना किसी विधिक स्थिति के पंचायत की बैठक दिनांकित 05.11.2014 में प्रस्ताव सं. के अनुसार हटा दिया गया जबकि किसी भी वारिस का नाम प्रतिस्थापित प्रविष्टि में हो तो उसके नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार होना ही होता है। तत्पश्चात् यदि वह अपना हक जरिये रजिस्टर्ड सम्मोचन डीड से त्यागे तो ही शेष वारिस अर्थात खातेदार के नाम नामान्तकरण में दर्ज हो सकता है, जिसके लिए अलग से भिन्न नामान्तकरण स्वीकार किया जाना आवश्यक है। इसलिये चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व निरीक्षण की रिपोर्ट दिनांकित 20.09.2014 का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया, जिन्होंने लिखा कि ग्राम पंचायत मृतक के वारिसान की जांच के पश्चात् निर्णय करें" इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण व सावचेत करती हुई रिपोर्ट के बावजूद ग्राम पंचायत ने चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व स्व. सादाराम के वारिसान की सही व पूर्ण जांच नहीं की। अपील श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में होने से उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अपील मियाद बाहर है, जिसके लिए अलग से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण सं. 1014 दिनांक 05.11.2014 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।"

अपीलांट् द्वारा अपील के साथ आवेदन तहत दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर विलम्ब को क्षमा किये जाने का अनुरोध किया है, जिसमें अनुरोध किया है कि "उपरोक्त उनवानी अपील अपीलान्ट्स द्वारा श्रीमान् के समक्ष चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण के विरूद्ध मियाद बाहर पेश की जा रही है। प्रार्थीगण को उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने की जानकारी कभी नहीं रही। प्रार्थीगण/अपीलांट्स जब किसी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए ग्राम आकवा अपने ननिहाल दिनांक 15.11.2017 को गये तब वहां पर उक्त वादग्रस्त भूमि में से कुछ हिस्सा क्रय करने वाली सोहनी देवी पत्नी शिवपाल के बताये जाने पर इस बात की जानकारी हुई कि सम्पदा विक्रय में केवल दुर्गेश व रामकोरी के हस्ताक्षर भी करवाये गये थे तब प्रार्थीगण को यह अन्देशा हुआ कि स्व. सादाराम का विरासत का नामान्तरकरण केवल रामकोरी व दुर्गेश के नाम ही स्वीकार फरमाया गया होगा। तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण की नकल दिनांक 24.11.2017 को प्राप्त की तब जाकर उक्त दस्तावेज की जानकारी प्रार्थीगण को हुई। इसलिए जानकारी की दिनांक से यह तो अपील अन्दर मियाद ही प्रस्तुत है। फिर भी यदि किसी भी वजह से अपील मियाद बाहर समझी जावें तो भी प्रार्थीगण को उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण के विरूद्ध जो अपील पेश करने में देरी हुई है वह क्षम्य होने योग्य है। दिनांक 24.11.2017 को चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण की अपील तैयार करवाने में एवं अन्य कानूनी दस्तावेजात तैयार करवाने में जो समय लगा वह क्षम्य होने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में जो देरी हुई वह क्षम्य किये जाने की कृपा करें।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 16:13:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स सं. 1 व 3 पर विधिवत तामील जरिये जरिये रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 4 की ओर से श्री मोहनलाल चौधरी, एड. ने वकालतनामा पेश किया, जिन्होंने अपील में पेश आवेदन अ.धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि ''आवेदन में उल्लेखित कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। जिस दिन नामान्तरकरण भरा गया वह मज्मे–आम में भरा गया था, जिसकी जानकारी अपीलान्ट्सगण/प्रार्थीगण को थी, जिनकी ओर से कोई नामान्तरकरण की आपत्ति नहीं थी। अपीलान्ट्सगण ने उल्लेख किया है कि दिनांक 15.11.2017 को ननिहाल ग्राम आकवा में किसी विवाह समारोह में शामिल होने पर इस बात की जानकारी हुई यह कथन प्रार्थीगण/अपीलान्ट्सगण ने गलत अंकित किये है, अपील को मियाद में लाने के लिय किसी के विवाह समारोह में शामिल होने 'की बात का उल्लेख किया है, किसके विवाह समारोह में शामिल हुये किसी का नाम, पता नहीं बताया गया है इससे 'साफ जाहिर होता है कि अपीलान्ट्सगण ने मनगड़न्त दिनांक 15.11.2017 को उल्लेख किया है। अपीलान्ट्सगण अपने ननिहाल आते–जाते रहे है। उनको विरासत नामान्तरकरण की पूर्ण जानकारी थी उसके बावजूद उन्होंने उक्त नामांतरकरण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की व पूर्ण रूप से चुनौतीग्रस्त नामांतरकरण से सहमत थे। अब प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स के मन में जमीने महंगी होने के कारण बेईमानी आ गयी और किसी भी तरीके से अपील को मियाद में लेने के लिये मन ईच्छा से दिनांक 15.11.2017 की तारीख का उल्लेख करते हुये मियाद अधिनियम का आवेदन पेश कर उक्त नामांतरकरण के खिलाफ अपील अंदर मियाद लिये जाने हेतु आवेदन पेश किया है, जो कि कतई गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण तथा तथ्य काल्पनिक रूप से उल्लेखित किये गये है। इसलिए अपील अन्दर मियाद नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदन में काल्पनिक दिनांक 15. 11.2017 तो उल्लेख कर दी गयीं किन्तु अपील पेश करने के दिवस तक हर दिवस का कारण उल्लेख करना आवश्यक है कि जानकारी से जितने दिवस निकाले जाकर अपील पेश की जा रही है तो हर दिवस का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि किस कारण से उस दिन अपील पेश नहीं की जा सकी है किन्तु प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स ने ऐसी कोई जानकारी व कारण का अपने आवेदन में उल्लेख नहीं किया है। इसलिए प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है तथा अपील भी अन्दर मियाद नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपील पेश करने में देरी का ठोस कारण प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है ना ही ऐसा कोई सबूत पेश किया है कि इस कारण अपील पेश नहीं की जा सकी। प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स ने केवल काल्पनिक दिनांक 15.11.2017 को जानकारी होने का केवल मात्र उल्लेख किया है, जिससे प्रार्थीगण को जानकारी होने का या जानकारी नहीं होने के संबंध में तय नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई पुख्ता सबूत आवेदन के साथ पेश नहीं किया है तथा केवल मात्र किसी विवाह समारोह में शामिल होने के कथनों का ही' उल्लेख करते हुये जानकारी होना दर्शित किया है जो कि विश्वसनीय नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार नहीं किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम विधि विरूद्ध व काल्पनिक तिथि अंकित कर गलत रूप से कथनों का उल्लेख करते हुए पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स की खारिज फरमायी जाने की कृपा करें।'' प्रकरण अपील का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2017 से न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। अतः प्रकरण का समग्र अवलोकन किया जाकर उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण को अवगत करवाया जाकर समग्र रूप से बहस हेतु पत्रावली को नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 16:13:03 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपील के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराकर कथन कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 2 व 4 ने अपील मियाद बाहर होने से अपीलांट्स की अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के तर्को के मध्यनजर प्रकरण के गुणावगुण पर मनन किया गया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न विवादित नामान्तरकरण सं. 1014 वाके ग्राम आकवा तत्समय तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण के संबंध में ग्राम पंचायत गोठड़ा भूकरान द्वारा भरा गया, जिसमें अपीलांट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। उक्त नामान्तरकरण की सत्य प्रतिलिपि में सादाराम पुत्र जोधाराम के फौत होने पर उक्त नामान्तरकरण भरा गया है, लेकिन तत्समय अपीलांट्स (सादाराम की एक अन्य पुत्री स्व. सुमित्रा के पुत्र व पुत्रियों) का कहीं भी उल्लेख नहीं किया जाकर केवल उसके एक पुत्र (दुर्गेश कुमार), एक पुत्री (राखी) व पत्नी (रामकोरी) के नाम विरासत का नामान्तरकरण भरा गया, जिसके कारण सादाराम पुत्र जोधाराम के सभी विधिक वारिसानों का नाम दर्ज नहीं हो सका। वकील रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 4 की ओर से प्रकरण अपील में अपील मियाद बाहर होने का आक्षेप लगाया है। परन्तु इस संबंध में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप किसी पक्ष का सुनवाई के हक से मात्र विलम्ब के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण द्वारा ऐसे किसी ठोस कारण/साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है, जिससे यह मात्र और मात्र देरी से अपील पेश करने के कारण ही उक्त अपीलांट्स के द्वारा अपील पेश नहीं की जा सके। प्रकरण अपील के निस्तारण के संबंध में यह जाहिर होता है कि अपील का निस्तारण प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करता है। साथ ही मियाद नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करें। वे यह देखने के लिए अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा नहीं लें अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मांगे। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरणों में तकनीकी आधार पर निर्णय की जगह प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार से वकील रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 4 के मियाद के संबंध में उठाया गया आक्षेप सारहीन प्रतीत होता है। इस प्रकार वर्णित नामान्तरकरण में अपीलांट्स के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने से उक्त विवादित नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण भरा गया है, जो कि विधिनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर वर्णित आराजी खसरा सं. 592 रकबा 3.8700 हेक्टेयर वाके ग्राम आकवा हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के संबंध में ग्राम पंचायत, गोठड़ा भूकरान के द्वारा भरे गये नामान्तरकरण सं. 1014 वाके ग्राम आकवा पंचायत समिति धोद द्वारा दिनांक 05.11.2014 को भरे गये नामान्तरकरण को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व. सादाराम पुत्र जोधाराम के विधिक वारिसानों की जांच कर नियमानुसार विरासत के नामान्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.08.2025 को मे[illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 15:13:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर